प्रेस विज्ञप्ति
05.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) समूह-I मुख्य परीक्षा मूल्यांकन घोटाले से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को तेलंगाना के हैदराबाद एवं सिकंदराबाद तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एनटीआर पुलिस आयुक्तालय के सूर्यरावपेट पुलिस थाने द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 एवं 120-बी सहित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। उक्त धाराएँ पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं। उक्त प्राथमिकी में एपीपीएससी समूह-I मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के हस्तचालित मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान एक निजी पक्ष को ₹1,14,32,312/- का भुगतान किए जाने का आरोप है।

आरोप है कि आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 10805/2021 में पारित आदेशों के अनुपालन में, डिजिटल मूल्यांकन को निरस्त करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का हस्तचालित मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद, जब एपीपीएससी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं था, तब दिनांक 27.11.2021 से 19.02.2022 की अवधि के दौरान हस्तचालित मूल्यांकन का कार्य मेसर्स कैमसाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया। इसके पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को सरकारी परिसर से बाहर ले जाकर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिनाकाकानी गाँव स्थित हाइलैंड रिसॉर्ट्स में रखा गया, जहाँ दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच 84 दिनों तक वे रखी गईं। आरोप है कि वास्तव में उत्तर पुस्तिकाओं का कोई वास्तविक हस्तचालित मूल्यांकन नहीं किया गया, बल्कि पूर्व में किए गए डिजिटल मूल्यांकन के अंकों को ही हस्तचालित मूल्यांकन के अंक दर्शाते हुए दर्ज कर दिया गया। दिनांक 01.01.2022 को सार्वजनिक रूप से यह बताया गया था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तत्पश्चात, तत्कालीन सचिव, एपीपीएससी द्वारा हस्ताक्षरित चेक संख्या 197469, दिनांक 16.02.2022 के माध्यम से उक्त निजी पक्ष को ₹1,14,32,312/- की राशि जारी की गई। इसके बाद उक्त पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 19.02.2022 के पश्चात उत्तर पुस्तिकाएँ वापस प्राप्त की गईं और सरकारी परिसरों में सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया। अंतिम परिणाम एवं चयन सूची इसी बाद में किए गए मूल्यांकन के आधार पर घोषित की गई। इस प्रकार, ₹1,14,32,312/- का भुगतान ऐसी सेवा के लिए किया गया, जिसके प्रदान किए जाने का आरोप है कि कोई प्रमाण नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया यह राशि पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(u) के अर्थ में अपराध से अर्जित आय है।

तलाशी अभियान पी. सीतारामंजनेयुलु, आईपीएस, तत्कालीन सचिव, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग; मेसर्स कैमसाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हस्तचालित मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था, तथा उसके प्रबंध निदेशक पी. मधुसूदन राव; मेसर्स आवासा रिसॉर्ट हाइलैंड, चिनाकाकानी गाँव, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश, जहाँ उत्तर पुस्तिकाएँ रखी गई थीं और मूल्यांकन की प्रक्रिया संचालित की गई थी; तथा मेसर्स ट्रूग्रेडर सर्विसेज, जो मेसर्स स्टोन मीडिया एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग है और जिसने एपीपीएससी के लिए पूर्व में डिजिटल मूल्यांकन किया था, उसके प्रबंध निदेशक अकेला पेरी निवासा राव तथा मूल्यांकन कार्य के संबंध में संलग्न महमंकाली रघुराम के परिसरों पर चलाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान घोटाले से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा अन्य अभिलेख पाए गए और जब्त किए गए। पी. सीतारामंजनेयुलु, आईपीएस सहित आरोपित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए तथा तलाशी के दौरान बरामद संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

आगे की जाँच जारी है।

कथित कार्यप्रणाली एवं धनराशि का प्रवाह

